दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:03 मार्च, 2023

उद्घोषित:12 अप्रैल, 2023

कं.अ. (एकल पीठ) 57/2015 और कं.आ. 3700/2015, 219/2017

प्रिया जैन .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हरीश मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव बहल और श्री विकास तोमर के साथ, अधिवक्तागण।

बनाम

लगुना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री दर्पण वाधवा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रूबी सिंह आहूजा के साथ, श्री वरुण खन्ना,

श्री अक्षय अग्रवाल, श्री वासु सिंह, सुश्री मेघा दुगर, सुश्री अदिति मोहन और सुश्री नीलाक्षी भदौरिया, प्र.-1 और 2 हेतु अधिवक्तागण।

श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, प्र.-3,4 और 6 हेतु अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. संजीव नरूला,</u>

1. कंपनी अधिनियम, 1956 [इसके बाद "***अधिनियम***"] की धारा 10च के अंतर्गत वर्तमान अपील को दिनांक 23 सितंबर, 2015 के आदेश [इसके बाद "***आक्षेपित आदेश***"] के विरुद्ध निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3-ईडन पार्क होटल्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित उत्पीड़न और कुप्रबंधन याचिका[1] में अभियोजित करने से संबंधित अपीलार्थी का कं.आ. सं. 79/2015 वाला आवेदन कंपनी लॉ बोर्ड [इसके बाद ***"सीएलबी"***][2] द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

2. सुविधा हेतु, वर्तमान अपील के पक्षकारगण, सीएलबी के समक्ष उनकी स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध को इस प्रकार दर्शाया गया है:

वर्तमान अपील में पक्षकार	**नाम/विवरण**	**सीएलबी से पूर्व पक्षकार**	**अपील के पक्षकारगण का परस्पर संबंध**
अपीलार्थी	सुश्री प्रिया जैन	कं. आ. सं.	प्रत्यर्थी सं. 3 का

[1] सी.पी. सं. 108/एनडी/2014.

[2] वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है [इसके बाद "***एनसीएलटी***"]

		79/2015 में आवेदक (अभियोजित करने हेतु)	पूर्व शेयरधारक
प्रत्यर्थी सं. 1	लगुना होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड	याचिकाकर्ता सं. 1	प्रत्यर्थी सं. 3 का पूर्व शेयरधारक
प्रत्यर्थी सं. 2	सुश्री उषा जैन	याचिकाकर्ता सं. 2	प्रत्यर्थी सं. 3 का शेयरधारक।
प्रत्यर्थी सं. 3	ईडन पार्क होटल्स प्रा. लिमिटेड	प्रत्यर्थी सं. 1	प्रश्नगत कंपनी
प्रत्यर्थी सं. 4	सीएलजी होटल और रिसॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड	प्रत्यर्थी सं. 2	प्रत्यर्थी सं. 3 का शेयरधारक।
प्रत्यर्थी सं. 5	श्री सुशील गुप्ता	प्रत्यर्थी सं. 3	प्रत्यर्थी सं. 3 का अध्यक्ष-सह-निदेशक।
प्रत्यर्थी सं. 6	श्री संदीप गुप्ता	प्रत्यर्थी सं. 4	प्रत्यर्थी सं. 3 का निदेशक

3. आक्षेपित आदेश अपीलार्थी की शिकायत की पृष्ठभूमि को दर्शाता है, जिससे तथ्यों की पुनरावृत्ति अनावश्यक हो जाती है; यद्यपि, प्रासंगिक स्पष्टता हेतु एक संक्षिप्त अवलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

3.1 प्रत्यर्थी सं. 3 में शेयरधारकों के दो समूह हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2, जिनके पास 50% साधारण शेयर पूंजी है, वे "डीकेजे ग्रुप" का गठन करते हैं और प्रत्यर्थी सं. 4 से 6, जिनके पास शेष 50% साधारण शेयर पूंजी है, वे हैं "एसकेजी ग्रुप"।

3.2 श्री डी.के. जैन की दिनांक 18 मार्च, 2014 को मृत्यु हो गई और उसके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा अभी जीवित हैं। परिवार के भीतर आंतरिक मतभेदों को देखते हुए, श्री डी के जैन के निधन के बाद, उसकी विधवा पत्नी, सुश्री उषा जैन, और बेटी, सुश्री पूजा जैन, अपना पारिवारिक व्यवसाय चला रही हैं।

3.3 डी. के. जैन के जीवनकाल के दौरान, उसकी सबसे छोटी बेटी, अपीलार्थी, को डीकेजे ग्रुप की ओर से नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में प्रत्यर्थी सं. 3 में नियुक्त किया गया था।

3.4 कंपनी याचिका डीकेजे ग्रुप द्वारा अधिनियम की धारा(एँ) 111, 397, 398, 399, 402 और 403 के अंतर्गत दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि एसकेजी ग्रुप प्रत्यर्थी सं. 3 के संबंध में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के कृत्यों में संलग्न था।

3.5 निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व की कमी के कारण, डीकेजे ग्रुप ने अन्य बातों के अलावा, दिनांक 22 सितंबर और 22 नवंबर 2014 को आयोजित प्रत्यर्थी सं. 3 के निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को आगे बढ़ाने में कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने के लिए एक आवेदन [कं.आ. सं.155/2014] दायर किया। यह

प्रतिविरोध किया गया कि अपीलार्थी को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में हटा दिया गया था और श्री महेश गुप्ता (स्वर्गीय श्री डी.के. जैन के स्थान पर) के साथ श्री राजन शर्मा को निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया गया।

3.6 दिनांक 18 दिसंबर, 2014 को सीएलबी ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 को उपरोक्त बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू न करने के निर्देश भी शामिल थे। सीएलबी ने एसकेजी ग्रुप को प्रत्यर्थी सं. 3 के बोर्ड में डीकेजे ग्रुप के दो नामनिर्देशिती निदेशक को लेने का भी निर्देश दिया। अपीलार्थी को डीकेजे ग्रुप के नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में न मानने की प्रार्थना के संबंध में, सीएलबी ने न्यादेश दिया कि चूंकि अपीलार्थी की संपूर्ण शेयरधारिता [मात्र 0.5] के अंतरण के संबंध में एक कंपनी याचिका दायर की गई है, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 3 में उसकी अंतर्ग्रस्तता को डीकेजे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के रूप में बोधगम्य नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थी के निदेशक पद को अगले आदेश तक प्रास्थगित करने का आदेश दिया गया।

3.7 इसके बाद, अपीलार्थी ने एक आवेदन [कं.आ. सं. 79/2015] दायर किया जिसमें अभियोजित करने और याचिका का विरोध करने हेतु प्रति-शपथपत्र दायर करने की आज्ञा मांगी गई। आक्षेपित आदेश में इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

<u>अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ</u>

4. श्री हरीश मल्होत्रा, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, की प्रस्तुति है कि निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है:

4.1 अपीलार्थी को अपने स्वर्गीय पिता श्री डी.के. जैन के साथ डीकेजे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो नामनिर्देशिती निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि स्वर्गीय श्री डी.के. जैन के जीवनकाल के दौरान उसे कभी भी नामनिर्देशिती निदेशक के पद से हटाया या प्रतिस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के दस वर्षों से अधिक समय से नामनिर्देशिती निदेशक है। अभिलेख प्रकट करते हैं कि जब भी एसकेजी ग्रुप ने अवैध कार्य किए, तब उसने उनका विरोध किया था और हमेशा डीकेजे ग्रुप के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 3 के हितों की रक्षा की।

4.2 अपीलार्थी की शेयरधारिता के अंतरण हेतु अधिनियम की धारा 111 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 59 के अंतर्गत अपीलार्थी को एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किए बिना राहत नहीं मांगी जा सकती थी।

4.3 अपीलार्थी के विरुद्ध कदाचार का कोई आरोप नहीं है। मुख्य याचिका में यह भी कोई आरोप नहीं है कि उसने डीकेजे ग्रुप के हितों के विरुद्ध कार्य किया या एसकेजी ग्रुप के साथ मिलीभगत की। यद्यपि, कं. आ. सं.155/2014 में अपीलार्थी को नामनिर्देशिती निदेशक के पद से हटाने के लिए उसके विरुद्ध झूठे आरोप

लगाए गए थे। याचिका में या कं. आ. सं.155155/2014 में अपीलार्थी को डीकेजे ग्रुप के नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में कथित तौर पर हटाए जाने के संबंध में किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, कथित अपसारण(हटाए जाने) से संबंधित अपीलार्थी को कोई प्रस्ताव या सूचना की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है या अभिलिखित नहीं है।

4.4. दिनांक 19 मार्च, 2015 के शेयरधारक करार [इसके बाद "***एसएचए***"] के साथ पठित संगम-अनुच्छेद [इसके बाद "***एओए***"] के अंतर्गत केवल स्वर्गीय श्री डी.के. जैन के परिवार के किसी सदस्य/संबंधी को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार, स्वर्गीय श्री डी.के. जैन और प्रिया जैन के स्थान पर क्रमशः श्री महेश गुप्ता और श्री राजन शर्मा की नामनिर्देशिती निदेशकों के रूप में नियुक्ति अनधिकृत है क्योंकि वे उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। इसके अलावा, एसएचए के साथ पठित एओए के अनुसार, निदेशक पद का कार्यकाल "जारी रखना" है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा किया जाना चाहिए। अपीलार्थी का अपसारण(हटाया जाना) एओए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। सीएलबी द्वारा उपरोक्त कारकों की अनवेक्षा की गई।

4.5. सीएलबी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया। अपीलार्थी को

अपना प्रतिवाद करने का अधिकार है और इसलिए, उसे एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाना चाहिए, विशेषकर चूंकि सीएलबी के निर्देशों के अंतर्गत उसके निदेशक पद को निलंबित कर दिया गया है।

4.6. सीएलबी ने दोषपूर्ण रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 405 के अंतर्गत एक नामनिर्देशिती निदेशक "*निदेशक*" नहीं है, जिससे वह सीएलबी से राहत पाने का हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 405 के अंतर्गत "निदेशक" शब्द की परिभाषा की व्याख्या अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार की जानी है, जिसमें 'निदेशक' में एक नामनिर्देशिती निदेशक शामिल है।

4.7. सीएलबी ने आवेदन कं. आ. सं. 155/2014 की झूठी और तुच्छ सामग्री पर भरोसा करके गंभीर अवैधता की, जिसे दिनांक 15 जुलाई, 2015 को पहले ही वापस ले लिया गया था।

4.8. कंपनी की याचिका पर न्यायनिर्णयन हेतु अपीलार्थी एक आवश्यक और उचित पक्ष है, जो अब एनसीएलटी के समक्ष लंबित है।

<u>प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की प्रस्तुतियाँ</u>

5. *समानांतर स्तंभ में*, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दर्पण वाधवा की प्रस्तुति है कि:

5.1 श्री डी.के. जैन के निधन के बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 3 के हितों के विरूद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एओए के संदर्भ में उसका नामांकन वापस ले लिया गया।

5.2. डीकेजे ग्रुप ने दिनांक 19 सितंबर, 2014 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी का नामांकन वापस ले लिया, जिसे दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 की बोर्ड बैठक में प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अनुमोदित किया गया था। उक्त बैठक में, अपीलार्थी के स्थान पर श्री राजन शर्मा को भी नामनिर्दिष्ट किया गया था और इस निर्णय के विषय में दिनांक 17 नवंबर, 2014 को प्रत्यर्थी सं. 3 के निदेशक बोर्ड को सूचित किया गया था।

5.3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध कार्रवाई करनी जारी रखी जैसा कि कं. आ. सं. 79/2015 में प्रार्थना खंड से स्पष्ट है जिसमें वह कंपनी की याचिका का विरोध करने के अपने आशय को उपदर्शित करती है।

5.4. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 3 में अपनी शेयरधारिता पहले ही सुश्री उषा जैन को अंतरित कर दी थी, जो कं. आ. सं. 36/59/2014 में दिनांक 31 मार्च, 2016 के आदेश में अभिलिखित है। इसलिए, अपीलार्थी के शेयरधारिता के आरोप पूर्ण रूप से गलत हैं और इस हद तक, अपीलार्थी के पास अभियोजित करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

5.5. अपीलार्थी सि.प्र.सं., 1908 के आदेश 1 नियम 10 के साथ पठित धारा 405 की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा है। सीएलबी ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि एसकेजी ग्रुप के विरुद्ध डीकेजे ग्रुप द्वारा शुरू की गई कार्यवाही हेतु अपीलार्थी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

5.6. कं. आ. सं.155/2014 को वापस लेने का अपीलार्थी का प्रतिविरोध गलत है क्योंकि केवल कं. आ. सं.154/2014 को दिनांक 15 जुलाई 2015 को वापस लिया गया था।

<u>विश्लेषण</u>

6. निगमित शासन एक जटिल मामला हो सकता है, विशेषकर तब जब निदेशकों की नियुक्ति की बात आती है। विवाद तब उत्पन्न हो सकता है जब नामनिर्देशिती निदेशक की नियुक्ति बाद में नामनिर्दिष्ट समूह द्वारा वापस ले ली जाती है। हस्तगत मुद्दा यह है कि क्या एक नामनिर्देशिती निदेशक, जिसे अब नामनिर्दिष्ट समूह का समर्थन प्राप्त नहीं है, को कंपनी के अन्य सदस्यों/शेयरधारक समूहों के विरुद्ध उत्पीड़न और कुप्रबंधन के विरुद्ध राहत की मांग करने वाली याचिका में शामिल होने को अनुज्ञात किया जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश के अनुसार, इस प्रश्न का निर्णय अपीलार्थी के विरुद्ध किया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

> *"7. आवेदक के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि संगम अनुच्छेद 32क के*

आधार पर वह याचिकाकर्ता की ओर से केवल एक नामनिर्देशिती निदेशक है, जिसका कहना है कि एक नामनिर्देशिती निदेशक तब तक निदेशक के रूप में बना रहेगा जब तक नामनिर्देशिती निदेशक को एसकेजी ग्रुप या डीकेजे की प्रसन्नता प्राप्त है, जैसा भी मामला हो, यदि नहीं, तो संबंधित समूह निदेशक बोर्ड को 15 दिन की सूचना देकर किसी भी समय अपने नामनिर्देशिती निदेशकों को हटा सकता है। अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि याचीगण का समर्थन वापस लेने के बाद उसका नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संबंधित दो समूहों के हित आमतौर पर उनके द्वारा नामनिर्देशिती निदेशकों द्वारा परिलक्षित होते हैं, यदि नामनिर्देशिती निदेशक ने ऐसे समूह के हितों के विरुद्ध कार्य किया है, तो वे अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों को हटा सकते हैं। यह सर्वविदित प्रतिपादना है कि याचिकाकर्ता या वादी उसके द्वारा दायर मुकदमे या याचिका का स्वामी है। याचीगण के पास 50% शेयरधारिता वाले शेयरधारक हैं, उसे कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार अपनी पसंद के निदेशक को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार है, इसके अनुसरण में, सुश्री प्रिया को पहले नामनिर्देशिती निदेशक बनाया गया था, अब, याचीगण ने ध्यान दिया कि वह याचीगण के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं, उन्होंने उसको हटाने की मांग करने के लिए कं. आ. दायर किया, इस प्रकार के आवेदन पर, सुश्री प्रिया को याचीगण की ओर से नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में बने रहने से निलंबित कर दिया

गया है। याचीगण हेतु यह देखना बाध्यकारी है कि याचीगण के हितों का समर्थन करने वाला व्यक्ति बोर्ड में रहेगा, न कि वह व्यक्ति जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है। यदि सुश्री प्रिया को अपनी मां या बहन से उनके अधिकारों को लेकर कोई शिकायत है, तो या तो उन्हें इसका समाधान करना होगा, यदि नहीं, तो वे अपने अधिकारों की घोषणा हेतु सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं, परंतु किसी के द्वारा दायर मामले में अपनी शिकायत का समाधान करने के लिए नहीं। यहां, चूँकि सुश्री प्रिया अपने द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्तिगत अधिकार के आधार पर निदेशक के रूप में बनी रहीं, इसलिए, नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में उसका अपसारण या निलंबन उसके अधिकारों से वंचित नहीं होगा। भले ही उसे नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में एक पक्षकार बनना अनुज्ञात किया गया हो, वह याचीगण के समर्थन के बिना कार्यरत रहना जारी नहीं कर सकती, इसलिए, वह यह दावा नहीं कर सकती कि जब तक उसे कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं बनाया जाता है, इस याचिका के मुद्दों पर न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता विशेष रूप से ऐसे मामले में, जहां याचीगण ने दूसरे समूह के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए और यह आरोप लगाया कि उन्हें कंपनी के कामकाज में भाग लेना अनुज्ञात नहीं किया गया है और दूसरा समूह कंपनी के धन की हेराफेरी कर रहा है, जो याचीगण समूह के हितों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 405 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु एक पक्षकार के रूप में अभियोजित करने की हकदार है क्योंकि इस पीठ ने उसे इस पीठ द्वारा सुने बिना ही याचीगण की ओर से नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में बने रहने के लिए निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया है और चूंकि उसके पास 50,000 साधारण शेयर हैं, इसलिए वह इस कार्यवाही में उचित और आवश्यक पक्षकार है।

9. अधिनियम 1956 की धारा 405 के पठन से, यह स्पष्ट है कि यह प्रबंध निदेशक (एमडी) या किसी अन्य निदेशक, या किसी कंपनी के प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है, जिसे अधिनियम की धारा 397 और 398 के अंतर्गत कार्यवाही में प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित नहीं किया गया है। यहां, वह उल्लिखित अर्थ में निदेशक नहीं हैं; इस धारा में नामनिर्देशिती निदेशक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यदि कोई स्वतंत्र निदेशक है तो यह उस पर लागू होता है। यह नामनिर्देशिती व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, मान लीजिए कि नामनिर्देशिती व्यक्ति शेयरधारकों के हित के विरुद्ध जाता है; उस निदेशक को नामनिर्देशिती व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड में कोई नहीं होगा। जहां तक "किसी भी व्यक्ति" का प्रश्न है, यदि यह पीठ संतुष्ट है, जैसा कि धारा में कहा गया है, कि उसे एक पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तभी सीएलबी उसे एक पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए

अपने विवेक का उपयोग करेगा। यहां, इस पीठ ने उत्तर देने वाले प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध याचीगण द्वारा उठाए गए मुद्दों के न्यायनिर्णयन हेतु इस कार्यवाही में उन्हें प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने का कोई कारण नहीं देखा है; इसलिए मेरा यह विश्वास नहीं है कि इस कारण में कोई गुणागुण है।

10. आवेदक के अधिवक्ता ने एक और बयान दिया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सुश्री प्रिया को कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में अभियोजित करने हेतु कं. आ. 155/2014 दायर किया था, दिलचस्प बात यह है कि जब इस पीठ ने कं. आ. 154/2014 में एक आदेश पारित किया जिसमें सुश्री प्रिया को याचीगण की ओर से नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में बनाया रखा गया था। याचीगण ने दिनांक 15.07.2015 को सुश्री प्रिया को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में अभियोजित करने हेतु अपना कं. आ. वापस ले लिया। जब उन्होंने स्वयं कुछ समय पहले उसे अभियोजित करने हेतु राहत मांगी थी, तो अब वे उसे कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में आने पर आपत्ति नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आवेदक के साथ कुछ कठिनाई थी, जिसके लिए उन्होंने उसे अभियोजित करने की मांग की थी, अब याचीगण का यह विश्वास हो सकता है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के न्यायनिर्णयन हेतु उन्हें एक पक्षकार बनने की आवश्यकता नहीं है।

11. आवेदक के अधिवक्ता ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्र1 कंपनी में 37.4% हिस्सेदारी रखने वाले या1 ने

याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री प्रिया को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। जिस पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बयान दिया कि प्र1 कंपनी ने पहले ही इस पीठ द्वारा पारित आदेशों पर काम करते हुए उसकी जगह याचीगण द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है। इस तर्क के संबंध में, मेरा विश्वास है कि आवेदक को याचीगण की ओर से नामनिर्देशिती व्यक्ति के रूप में बने रहने को अनुज्ञात करने का कोई मतलब नहीं है, विशेषकर जब उसने यह कहते हुए एक आवेदन दायर किया कि उसकी मां द्वारा अन्य समूह के विरुद्ध दायर कं.या. को अवैध और असद्भावपूर्वक बताया गया है। यह उसका मामला नहीं है कि उसके पास या1 कंपनी में बहुमत है और वह या1 कंपनी में या2 द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को विफल कर सकती है।

12. इस याचिका में गुप्ता ग्रुप के विरुद्ध उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, मुझे नहीं लगता कि सुश्री प्रिया जैन को कं.या. में एक पक्षकार बनने की आवश्यकता है, इसलिए इस आवेदन को बिना किसी जुर्माने के खारिज कर दिया गया है।"

7. न्यायालय उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं समझता है।

(i) *<u>डीकेजे ग्रुप के हितों को अग्रता दी जाती है</u>*

8. प्रत्यर्थी सं. 3 के एओए के अनुसार, डीकेजे ग्रुप प्रत्यर्थी सं. 3 के बोर्ड पर एसकेजी ग्रुप के बराबर निदेशकों की संख्या का हकदार है। अपीलार्थी डीकेजे ग्रुप

का नामनिर्देशिती व्यक्ति था। श्री डीके जैन के निधन के बाद, अपीलार्थी ने अपने नामनिर्देशिती समूह के हितों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। डीकेजे ग्रुप द्वारा एसकेजी ग्रुप से अपीलार्थी को अपने नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में स्वीकार न करने के अनुरोध के बावजूद, उसने नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में कार्य करना जारी रखा। उसके सहयोग की कमी के कारण, डीकेजे ग्रुप ने सीएलबी को सूचित किया कि उनका नामांकन वापस ले लिया गया है और उसके स्थान पर एक नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, जब डीकेजे ने अंतरिम निर्देशों के लिए सीएलबी से संपर्क किया, तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि एसकेजी ग्रुप डीकेजे ग्रुप के हितों को बनाए रखने के लिए बाध्य था और इस प्रकार, अपीलार्थी के निदेशक पद को निलंबित कर दिया गया। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कंपनी की याचिका में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक डीकेजे ग्रुप के हितों को ख़तरा न हो।

(ii) *अपीलार्थी के डीकेजे ग्रुप के विपरीत हित हैं और ग्रुप के साथ पूर्व संगम का कोई परिणाम नहीं है*

9. अपीलार्थी ने जोरदार तर्क दिया कि उपरोक्त अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने आवेदन कं. आ. सं. 155/2014 वापस ले लिया, जिससे कार्यवाही में उसकी स्थिति के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई। इस प्रतिविरोध का प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने खंडन किया है। इसके अतिरिक्त, उसने

बताया कि उक्त आवेदन में, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने स्वयं सीएलबी से उसे एक पक्षकार के रूप में अभियोजित करने का अनुरोध किया था, और इस प्रकार, कंपनी की याचिका के निर्णय में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। इस न्यायालय की राय में, उपरोक्त कारक आक्षेपित आदेश को प्रभावित नहीं करते हैं। मूल प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी उत्पीड़न और कुप्रबंधन याचिका पर निर्णय लेने के लिए एक आवश्यक या उचित पक्ष है। चूंकि अपीलार्थी ने डीकेजे ग्रुप के हितों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया था, इसलिए नामनिर्दिष्ट समूह को अपने हितों और प्रतिनिधित्व की रक्षा हेतु उसके नामांकन से अपना समर्थन वापस लेना उचित था। कंपनी याचिका बोर्ड में समान शेयरधारिता और प्रतिनिधित्व वाले दो समूहों के मध्य एक प्रतिवाद है। चूंकि अपीलार्थी को अब नामनिर्दिष्ट समूह का समर्थन नहीं मिला है, इसलिए यह निहित है कि वह अब डीकेजे ग्रुप के समान हितों और लक्ष्यों को साझा नहीं करती है। इस प्रकार, याचिका में उसकी सहभागिता स्वार्थी थी और संभावित रूप से नामनिर्दिष्ट समूह के हितों को खतरे में डाल सकती थी। उसे डीकेजे ग्रुप के हितों के विपरीत कार्य करने के लिए एक पक्षकर बनने को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है, जो कि उसके कं. आ. सं. 79/2015 की प्रार्थना '(क)' से भी स्पष्ट है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

इसके अंतर्गतः

"क) उपरोक्त याचिका में आवेदक सुश्री प्रिया जैन को प्रत्यर्थी सं. 5 के रूप में अभियोजित करने और उसके बाद उसे <u>अवैध और असद्भावपूर्वक याचिका का विरोध करने के लिए</u> अपना प्रति-शपथपत्र दायर करने की आज्ञा दें।"

[जोर दिया गया]

10. अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया है कि डीकेजे ग्रुप के साथ एक दशक लंबे संबंध के दौरान, उसने नामनिर्देशिती निदेशक और कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उसका दावा है कि उसने हमेशा अपने नामनिर्दिष्ट समूह के हित में कार्य किया, परंतु उसकी नियुक्ति को झूठे आधार पर निलंबित कर दिया गया कि वह डीकेजे ग्रुप के लिए काम नहीं कर रही थीं। न्यायालय ने डीकेजे ग्रुप के साथ अपीलार्थी के पूर्व संबंधों को मौजूदा मामले में अप्रासंगिक पाया है। उसका यह दावा कि वह नामनिर्देशिती निदेशक बनी रहेगी, गलत है क्योंकि एओए में यह अनुबद्ध है कि एक नामनिर्देशिती निदेशक केवल तभी निदेशक मंडल में कार्य करना जारी रख सकता है, जब उन्हें नामनिर्दिष्ट समूह का समर्थन प्राप्त हो। अभिलिखित अभिवचन दर्शाते हैं कि अपीलार्थी के पास अब डीकेजे ग्रुप का समर्थन प्राप्त नहीं है, जो एक नामनिर्देशिती निदेशक के पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है। अपीलार्थी को डीकेजे ग्रुप के हितों को अग्रसर करना था, परंतु चूंकि वह उनके हितों में काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसे अपना समर्थन खोने और बोर्ड से निकाले जाने का जोखिम था।

(iii) *<u>अधिनियम की धारा 405 के अंतर्गत कोई पर्याप्त कारण नहीं</u>*

11. अधिनियम की धारा 405 पर अपीलार्थी की निर्भरता भी गलत है। अधिनियम की धारा 405 सीएलबी को निदेशकों या "किसी अन्य व्यक्ति" को जोड़ने के लिए प्राधिकृत करती है जो अधिनियम की धारा 397 या 398 के अंतर्गत कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त नहीं था। सीएलबी द्वारा इस विवेक का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति के कार्यवाही में शामिल होने को अनुज्ञात करने का कोई वैध कारण हो। तत्काल मामले में, चूंकि अपीलार्थी को अब डीकेजे ग्रुप का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय सीएलबी के निर्णय से सहमत है कि अपीलार्थी कार्यवाही में शामिल होने के लिए अधिनियम की धारा 405 के अंतर्गत पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहा है।

12. इसे स्पष्ट करने के लिए, न्यायालय यह न्यायनिर्णयन नहीं कर रहा है कि क्या अपीलार्थी को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में उसकी भूमिका से विधिपूर्वक हटा दिया गया था या अपीलार्थी और स्वर्गीय श्री डी.के. जैन के स्थान पर नामनिर्देशिती निदेशकों की नियुक्ति की वैधता थी। महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यह है कि क्या कंपनी याचिका में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर न्यायनिर्णयन हेतु अपीलार्थी की उपस्थिति आवश्यक है। यह बताना भी आवश्यक है कि अपीलार्थी ने दिनांक 23 सितंबर 2015 के आदेश को चुनौती दी है, न कि 18 दिसंबर 2014

को जारी अंतरिम आदेश को, जिससे उसका निदेशक पद प्रास्थगित कर दिया गया था। भले ही, अपीलार्थी का यह तर्क कि वह अपना प्रतिवाद हेतु कार्यवाही में भाग लेना चाहती है और दिनांक 18 दिसंबर 2014 के आदेश को वापस लेने/संशोधित करने का अनुरोध करना चाहती है, गुणागुण रहित है। कं. आ. सं. 79/2015 में की गई प्रार्थना, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, इसके विपरीत की पुष्टि करती है। यदि अपीलार्थी को नामनिर्देशिती निदेशक के रूप में हटाए जाने या एओए और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के बारे में कोई शिकायत है, तो उसे विधि के अनुसार अन्य विधिक उपायों, यदि कोई हो, का आश्रय लेने का अधिकार है।

(iv) *अपीलार्थी की शेयरधारिता निर्णायक रूप से अंतरित की जाती है*

13. अपीलार्थी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि कंपनी याचिका प्रत्यर्थी सं. 3 में उसकी 50,000 साधारण शेयरों की शेयरधारिता के मुद्दे उठाती है और इस प्रकार, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसका आरोप है कि सुश्री उषा जैन के अनुचित दबाव और प्रपीड़न के अंतर्गत, उसने एक समझौता करार किया था और सुश्री उषा जैन के पक्ष में 50,000 शेयरों की अपनी शेयरधारिता अंतरित करने हेतु दिनांक 11 जून, 2014 और 20 जुलाई, 2014 को अंतरण विलेख निष्पादित किया था।

14. प्रारंभ में अपीलार्थी की शेयरधारिता बहुत कम थी और उसकी नियुक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी, शेयरधारिता का मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है

क्योंकि अपीलार्थी के शेयर डीकेजे ग्रुप को अंतरित कर दिए गए हैं। जब प्रत्यर्थी सं.3 अपीलार्थी के स्थान पर शेयरों के स्वामी के रूप में सुश्री उषा जैन को पंजीकृत करने में विफल रही, तो सुश्री उषा जैन ने प्रत्यर्थी सं.3 और अपीलार्थी के विरुद्ध कं.या. सं. 36/59/2014 दायर की। इस याचिका का निर्णय दिनांक 31 मार्च 2016 के एक आदेश द्वारा इस प्रकार किया गया:

> *"याचिकाकर्ता, श्रीमती उषा जैन और प्रत्यर्थी सं. 2 - सुश्री प्रिया जैन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। याचिकाकर्ता ने प्र.2 अर्थात् सुश्री प्रिया जैन को दिनांक 16.3.2016 का 50 लाख रुपये का संदाय आदेश सं. 055649 सौंप दिया है।*
>
> *2. प्र.2 ने इस कं.या. के निपटान हेतु पीठ के दिनांक 15 मार्च, 2016 के करार को अग्रसर करते हुए कं. आ. 38/सी-11/2016 दायर किया और इस पीठ से प्रार्थना की कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्र.2 को दिनांक 16.03.2016 के संदाय आदेश सं. 055649 के अंतर्गत केनरा बैंक, ओखला, नई दिल्ली से पहले किए गए 50 लाख रुपये के भुगतान को अभिलिखित करे और उसके बाद 50,000 साधारण शेयरों के अंतरण हेतु प्र.2 द्वारा दायर दिनांक 30.04.2015 के उत्तरआपत्तियों को खारिज कर / दिया जाए औरप्र.1 कंपनी को आगे निर्देश दिया जाए कि प्र.2 के 50,000 साधारण शेयरों को श्रीमती उषा जैन, जो कि याचिकाकर्ता है, के नाम से प्रमाणपत्र सं.9 के अनुसार जारी किया जाए, जो कि विशिष्ट सं.62,10,001 से 62,60,000 है,*

और इस निर्देश हेतु भी कि श्रीमती उषा जैन और (याचिकाकर्ता) सुश्री प्रिया जैन, (प्र. 2) दिनांक 15 मार्च, 2016 के करार में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होंगी।

3. प्र1 कंपनी अर्थात् ईडन पार्क होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस आवेदन को अनुज्ञात करने के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई है।

4. इसके अनुसरण में, इस आवेदन को याचिकाकर्ता द्वारा प्र.2 को केनरा बैंक ओखला, नई दिल्ली को दिनांक 16.03.2016 के संदाय आदेश सं. 055649 के माध्यम से प्र.2 को 50 लाख रुपये के भुगतान को अभिलिखित करके कंपनी की याचिका का निपटान करने को अनुज्ञात किया जाता है और प्र1 कंपनी को प्रमाणपत्र सं.9 के अंतर्गत जारी प्र2 के 50,000 साधारण शेयरों को विशिष्ट सं.62,10,001 से 62,60,000 तक याचिकाकर्ता श्रीमती उषा जैन के नाम पर अंतरित करने का निर्देश भी दिया जाता है।

5. यह पीठ आगे निर्देश देती है कि श्रीमती उषा जैन, (याचिकाकर्ता और सुश्री प्रिया जैन (प्र.2), दिनांक 15 मार्च, 2016 के करार में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होगी।

6. दिनांक 15.03.2016 का उपरोक्त करार इस आदेश के भाग के रूप में बनाया गया है।

3. तदनुसार, कं.या. 36/59/2014 का निपटान करते हुए इस कंपनी आवेदन को अनुज्ञात किया जाता है।"

15. चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 3 में अपनी पूर्ण शेयरधारिता सुश्री उषा जैन को अंतरित कर दी है, इसलिए शेयरधारिता के आधार पर उसके अभिवचन का कोई परिणाम नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

16. उपरोक्त कारणों से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डीकेजे ग्रुप का समर्थन प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 3 में अपीलार्थी की शेयरधारिता अंतरित कर दी गई है जो डीकेजे ग्रुप के निर्णय लेने के अधिकार को रेखांकित करता है जो कि उनके सर्वोत्तम हित में हैं। ऐसे विवाद में अपीलार्थी को अभियोजित करने का कोई वैध कारण उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रत्यर्थी सं. 3 में अपने प्रतिनिधित्व अधिकारों के प्रतिवाद हेतु डीकेजे ग्रुप का प्रयास शामिल है।

17. अन्य लंबित आवेदनों सहित खारिज किया जाता है।

न्या. संजीव नरूला

12 अप्रैल, 2023

एनके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*